

आदेश नं. इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 116/2023 (धारा 14 शिक्वोरिटाईजेशन)
रिलायन्स एरोट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, संजीकृत कार्यालय 11 वी फ्लोर, मोर्ब साईड, वेस्टर्न
एक्सप्रेस हाईवे, गोरगांव, (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री निरंजन सैन
2. श्री राहुल सैन पुत्र श्री निरंजन सैन
3. श्री निरंजन सैन पुत्र श्री दामोदर सैन

पता :- ग्राम पंचायत रायसर, जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 29.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 19, ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 143 वर्गगज एवं श्री निरंजन सैन के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 54, ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 176.00 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 29.04.2017 को राशि 05,00,000/- रुपये एवं दिनांक 28.02.2019 को राशि 1,50,000/-रुपये कुल राशि 06,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 29.03.2023 को जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी वित्तीय संस्था को अप्रार्थी का ऋण खाता स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 06,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (आजीव)



के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 14,26,887/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं

4. किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 19, ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 143 वर्गगज एवं श्री निरंजन सैन के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 54, ग्राम पंचायत रायसर, पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर क्षेत्रफल 176.00 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस-थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने के लिए पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल

दिए जायेंगे।

आदेश आज दिनांक 29.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(ग्रामीण) जयपुर (राजीव)